लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 खेतान स्पंज एंड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम सरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.10.2010 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 खेतान स्पंज एंड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम सरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 13.10.2010 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे पंचायत भवन ग्राम सरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में सुनवाई नियत की गई। ग्राम पंचायत सरोरा को लोक सुनवाई की सूचना दिनांक 09.09.2010 (ग्राम पंचायत को प्राप्ति दिनांक 10.10.2010) को प्रेषित की गई।

उद्योग की प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 13.10.2010 को अपर कलेक्टर श्री रमेश शर्मा, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, श्री परिहार उप–पुलिस अधीक्षक, श्री तिगाला तहसीलदार, डॉ0 एस.के. उपाध्याय मुख्य रसायनज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान, श्री अरूण खेतान एवं उद्योग के कंसल्टेंट श्री महेश्वर रेड्डी तथा ग्राम सरोरा एवं आस–पास के लगभग 200 ग्रामवासी उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–2** अनुसार है।

2. जनसामान्य को अवगत कराया गया कि, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का यह प्रावधान है कि जब भी कोई किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगानी होती है और कोई भी आवेदन राज्य सरकार के पास आता है तो उसे भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस लेना पड़ता है, पर्यावरणीय स्वीकति लेनी होती है। उस अनुमति में भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय यह चाहती है कि अनुमति या उस आवेदन पर कोई भी कार्यवाही या उस संस्था से कोई भी एम.ओ.यू. होने से पहले उस क्षेत्र में या उस स्थान पर जहां पर कोई इंडस्ट्री प्रस्तावित है, वहां की जनता को इस फैक्ट्री के बारे में बताई जांए। उस फैक्ट्री में क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है। जो फीडबैक हो, इस संबंध में इस जन सुनवाई के जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित है उन सारे व्यक्तियों ने जो भी विचार व्यक्त किए है उसे वैसा ही लिखा जावे। उसको लिखकर पब्लिक की ओपिनियन को वैसा ही भारत सरकार को भेजा जावे। मे0 खेतान स्पंज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी जायेगी उसके जानकारी देने के पश्चात आपके जो भी विचार है वो हमें बताइए हम उसको नोट डाउन करेगे, नोट डाउन करने के बाद जो भी कार्यवाही विवरण बनेगा, उसमें हर एक व्यक्ति जो भी अपना ओपिनियन रखेगा उसको उस कार्यवाही विवरण में सम्मिलित किया जाएगा और जिसे कार्यवाही विवरण की एक प्रति चाहिए हो वह बतादे, उन्हें भी प्रतिलिपि दे दी जावेगी। खेतान स्पंज के जो भी प्रतिनिधि आये हुए है वे, इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी यहां उपस्थित जन सामान्य को उपलब्ध करायें।

3. उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान द्वारा बताया गया कि, हमारे द्वारा विद्यमान संयंत्र में क्षमता विस्तार प्रस्तावित है जिस के तहत एक इन्टीग्रेटेड स्टील उत्पादन इकाई लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में हमारे द्वारा पैलेटाइजेशन प्लांट 3,00,000

टन/वर्ष, ब्लास्ट फर्नेस 1,50,000 टन/वर्ष, सिन्टर इकाई 2,07,360 टन/वर्ष, स्टील मैल्टिंग शॉप 1,50,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल 1,50,000 टन/वर्ष, फैरो एलॉज 30,000 टन/वर्ष, विद्युत उत्पादन संयंत्र 20.5 मेगावॉट एवं कोल वॉशरी 14,40,000 टन/वर्ष इकाइयों का लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में लगाई जाने वाली इकाइयों कि अनुमानित लागत रू. 550.15 करोड़ है। प्रस्तावित इकाइयों कि स्थापना विद्यमान संयंत्र क्षेत्र यानी ग्राम सरोरा, तहसीलः तिलदा, जिलाः रायपुर (छ.ग.) में स्थापित की जावेगी तथा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नही है। प्रस्तावित इकाइयों कि स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को किया गया है, तद्ोपरांत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लोकसुनवाई हेतु टर्म्स ऑफ रिफरेन्सेस प्रदान किया गया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु कच्चे माल के रूप में लोह अयस्क, कोयला, डोलोमाइट, इत्यादी का उपयोग किया जावेगा। जिनका परिवहन रेल तथा तारपोलिन द्वारा ढकें हुए ट्रकों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना हेतु 4900 घनमीटर/प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है, जो कि संयंत्र स्थल से 4.0 कि.मी. दूरी पर बहती है। शिवनाथ से नदी से जलापूर्ति हेतु जल संसाधन विभाग, छ.ग. शासन द्वारा अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पैलेट इकाई, सिंटर इकाई, स्टील मैल्टिंग शॉप, रोलिंग मिल, फैरो एलॉयस् इकाई तथा कोल वाशरी में क्लोज्ड सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण इन इकाईयों से दूषित जल का उत्सर्जन नही होगा। प्रस्तावित इकाईयों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा 553 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसके उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट) लगाया जावेगा। प्रस्तावित इकाईयों द्वारा उत्पन्न घरेलू दूषित जल को सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट द्वारा उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित निस्त्राव का उपयोग पूर्णतः संयंत्र क्षेत्र में ऐश कंडिशनिंग, डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाना प्रस्तावित है। जिस के कारण संयंत्र क्षेत्र के बाहर दूषित जल का निस्तारण नहीं होगा। अतः परियोजना में शून्य निस्त्राव संकल्प का परिपालन किया जावेगा। प्रस्तावित संयंत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रंण हेतु उच्च दक्षता वाले ई. एस.पी., बैग फिल्टरों एवं वैन्चुरी स्क्रबर का लगाया जाना प्रस्तावित है, जो कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में कारगर साबित होंगे। प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर लगभग 22 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है, जिसमें नकारात्मक प्रभावों में कमी आवेगी। प्रस्तावित संयंत्र के कारण नए रोजगार के अवसर बनेगें, साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों को लाभ होगा। प्रस्तावित संयंत्र संचालन हेतु 300 कर्मचारियों का नियोजन एवं निर्माण हेतु 1000 कर्मचारियों का नियोजन किया जाना प्रस्तावित है। अर्ध–कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दी जावेगी। प्रस्तावित परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होगा जो कि अंततः राष्ट्रहित में होगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससें परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव में कमी आवेगी। अंत में प्रस्तावित परियोजना हेतु उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

4. जनसामान्य को अवगत कराया गया कि उद्योग प्रतिनिधि ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी अगर अब इस संबंध में किसी को कोई अपना अभिमत देना हो वे अपना नाम बताते हुए अपना अभिमत बता सकते है। उक्त अभिमत लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री राम भरोसे साहू, ग्राम सरोरा :– माननीय महोदय मैं यह जानना चाहूँगा कि कौन से खसरा नं कि जमीन में यह पावर प्लांट लगेगा और कितना पावर प्लांट लगेगा। इस

जनसुनवाई के माध्यम से एक पॉवर प्लांट लगना है या 7, 8, 9 लगाना है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :— वर्तमान संयंत्र क्षेत्र में सारें प्लांटो की स्थापना की जावेगी अन्य कोई भूमि आवश्यकता नहीं है। जिस भूमि पर स्पंज कार्यरत हैं उसी कैंपस में बाकी प्लांटो की स्थापना की जावेगी।

श्री राम भरोसे साहू :— मैं यह जानना चाहूँगा की कौन—कौन सी इकाईयों प्रस्तावित है।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :— पैलेटाइजेशन प्लांट 3,00,000 टन/वर्ष, ब्लास्ट फर्नेस 1,50,000 टन/वर्ष, सिन्टर इकाई 2,07,360 टन/वर्ष, स्टील मैल्टिंग शॉप 1,50,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल 1,50,000 टन/वर्ष, फैरो एलॉज 30,000 टन/वर्ष, विद्युत उत्पादन संयंत्र 20.5 मेगावॉट एवं कोल वॉशरी 14,40,000 टन/वर्ष इकाइयों का लगाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सारे जुडे हुए प्लांट है, उसी कैंपस के अंदर ही लगाया जाना है।

श्री राम भरोसे साहू :— यहां पर अभी कई हैं, अभी एक दों तो चल रही है पहले से बाकी और कितने लगाये जाएगें, सारी फैक्ट्रियां मिला कर के और कितने लग जाएगें। तो हम किसानों को इसमें क्या लाभ होगा। प्रदूषण सें हम किसानों के धान या जिसकी भी उपज है उसमें कोई क्षति होने की संभावना है या नहीं इस बारे में जानकारी चाहता हूँ।

अशोक खेतान :— अभी हम स्पंज आयरन बनाते है उसकों हम फर्नेस में इंगाट बनाएगें और फिर सरिया और एंगल बना के निकालेगें और बिजली उत्पादन भी हमारें द्वारा किया जायेगा मतलब समूचा स्टील यहां से प्रोडक्शन हो के निकलेगा। प्रदूषण के बारे में हम आपकों वादा करते है कि जिरो प्रदूषण हम अपनी फैक्ट्री चलायेंगें और गांव में किसी कों तकलीफ भी नहीं होगी।

2 श्री कामता प्रसाद शर्मा, ग्राम सरोरा :— ग्रामीण सभा सरोरा का सदस्य विपणन समिति जिला रायपुर ग्राम सरोरा का सदस्य, दूसरा मैं इस ग्राम सरोरा के ग्राम विकास समिति का सदस्य हूं। मान्यवर महोदय ये मांग पत्र जो मेरे हाथ में है उसे सुनाने के बाद मैं आपकों दूगाँ। इसमें मेरे कुछ प्रश्न है। इनकों मैं आपको बता रहा हूँ। इस संदर्भ में जानकारी चाह रहा हूँ, माननीय महोदय — आपसे सनम्र निवेदन है कि आज से लगभग 6—7 वर्ष पूर्व समस्त ग्रामवासी सरोरा के लोग खेतान स्पंज आयरन के विरूद्ध धरना प्रदर्शन शांति पूर्ण किया गया, जिसमें ग्रामवासियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था। उसी दिन रात 8 बजें रात्रि में करीबन 9 उद्योगपति, प्रशासन के समस्त अधिकारी और 9 व्यक्ति गांव के प्रमुख लोग उपलब्ध थे। एकांत में समझौता हुआ जिसमें 11 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया गया है। इन पर सबने पूर्णरूपेण अपनी सहमति जताई। सबने यह 11 सूत्रीय फार्मूला पर हस्ताक्षर किए इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय महोदय से निवेदन करता हुँ की कृपया उस 11 सूत्रीय फार्मूला लिस्ट के श्री खेतान ने कितने और कौन—कौन से फार्मूले पर अभी तक अमल किया है। मेरा दूसरा प्रश्न कि शासन की उद्योग निति के अंतर्गत पारिश्रमिक राशि प्रतिदिन कुशल— अकुशल, अर्धकुशल को कितना दिया जाता है व वर्षांत में मजदूरों को कितना प्रतिशत बोनस दिया जाता है। यह नियम यहां की दोनों स्पंज आयरन इकाईयों पर लागू होना चाहिए। फिर चाहें खेतान हो या फिर अर्श स्पंज आयरन तीसरा यह है कि हमकों किसी उद्योगपति या उद्योग से विरोध नहीं है। चौथा हम गांव के किसान है, कृषि हमारा मात्र एक ही उद्योग है बशर्ते आपके उद्योग के प्रदूषण के द्वारा हमारी कृषि का नुकसान नहीं होना चाहिए, समस्त प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये लिखित प्रमाण पत्र उद्योपति द्वारा दिया जाए। ग्राम विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ, शुद्ध पेयजल एवं गांव के किसी भी गरीब के विवाह एवं मृत्यु कार्य पर आपके द्वारा कुछ सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाए। गांव के लोगो को उद्योगो पर मजदूरी पर रखा जाए। अतः उपरोक्त बातों पर सहमति देतें है तो अच्छा है हम आपका स्वागत करते हैं, ग्राम का विकास होगा और विकास ही मांग पत्र है।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :— विकास के संबध तो मैं कमीटमेंट कर ही रहा हूँ।

श्री कामता प्रसाद शर्मा, ग्राम सरोरा :— महोदय आपसे निवेदन है 11 सूत्रीय का जो फार्मूला आपके पास है समझौता पत्रक जों 11 बिदुंओ पर हुआ था। माननीय महोदय उस

11 बिंदु वालू फार्मूला पत्र को सबके सामने रखकर पढ़ा जाए ताकि हम नौ लोग ही न जाने ये समस्त ग्रामवासी जान लेवे की 11 सूत्रीय फार्मूला में कौन–कौन से फार्मूला, कौन–कौन से बिंदुओं पर हुआ था, आपने कितने पर विकास किए है, कितने पर कार्यवाही की है, कितने कार्यान्वित नहीं किये गए हैं, इस पर हम बार–बार निवेदन करते रहें।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि उद्योग प्रतिनिधि 11 सूत्रीय कार्यक्रम लिस्ट लाने जा रहे है तक तक अन्य लोगो को विचार व्यक्त करने दीजिये। आखिरि से पहले तक 11 बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी जावेगी।

पब्लिक :– नहीं साहब अभी तत्काल घोषणा की जाए। जब तक बोलते जाऐंगे लास्ट में जवाब देगे ऐसा नही चलेगा।

3 अन्य व्यक्ति :– आदरणीय हम आपकी बात सुन रहे हैं। खेतान स्पंज एण्ड इंफ्रास्ट्रचर की जो लोक सुनवाई है, उसमें सब बातें शामिल होनी चाहिये।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई आगे प्लांट लगाये जाने के संबंध में है। आप जो मांग रखे है वह समझौता पूर्व में हुआ होगा, जिसे लाने के लिये उद्योग प्रतिनिधि अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, ताकि अभी आपको 11 सूत्रीय के संबंध में जानकारी दी जा सके।

4 पब्लिक :– जब आपको मालूम था कि बात उठेगी, तो इसकी तैयारी पहले से करके रखना चाहिये था।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई का 11 सूत्रीय मांग से संबंध नहीं है।

5 पब्लिक :– बात रखना पड़ेगा जन सुनवाई का मतलब ही क्या होता है, कि बाद में जवाब दिया जाए।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि जन सुनवाई का आशय यह है कि जो प्लांट आने वाला है, उसके संबंध में विचार रखे जायें। 11 सूत्रीय मांग आज से 5 या 7 साल, 5 साल पहले की है।

6 श्री कामता प्रसाद शर्मा :– जी यह 5 साल पूर्व पुरे पांच–सात साल पूर्व की है परंतु इसी कंपनी और इसी फैक्ट्री के विषयांर्तगत है माननीय महोदय। इन सबका मतलब ही क्या हुआ सब कुछ चलता जाएगा और आगे चलता जाएगा।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि जिसे बोलना है उसे बोलने का मौका देंगे।

7 श्री रामकुमार आडिल, ग्राम सरोरा :– मैं ग्राम सरोरा का रहने वाला हूं। मैं खेतान जी से यह पुछना चाहता हूं कि जब स्पंज ऑयरन फैक्ट्री चालू की गई थी, तब कितने क्षमता का एन.ओ.सी. लिया गया था। आज दो–तीन चार फैक्ट्रियां बन रही हैं तो उन सब का एन. ओ.सी. एक साथ लिया था क्या ? और दूसरी बात डस्ट जो बाहर हमारे मरगट्टी के पास फेंक रहा है उसकी बाउंड्री नहीं बनाई गई है, वो नहर मे पूरा बह कर घुल रही है, जिससे पानी काला हो गया है और वह बहते हुए खेत में जा रहा है। हमारे गांव के कितने बेरोजगारों को स्पंज आयरन में रखा गया है ? बाहरी व्यक्ति ज्यादा हैं, गांव के कम, इसका क्या कारण है ? और अभी जो प्लांट बन रहा है उसमें हर घर में जितने बेरोजगार है सबको काम में रखाना होगा और लिखित में देना होगा ?

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– अनापत्ती प्रमाण पत्र संपूर्ण स्पंज आयरन प्लांटों के लिए लिया गया है। और दूसरा प्रश्न आपका यह है कि डस्ट बाहर फेंका जा रहा है, डस्ट बाहर स्टोर कर उसको रोलर से दबाकर मुरूम डाली गई है, वह हमारी निजी भूमि है, जो डाउन है उसको पाट रहे है। किसी भी तरह का उसमें प्रदूषण नहीं होगा। ग्राम सरोरा के निवासियों को रोजगार में सबसे पहले प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद ही किसी की भर्ती की जावेगी।

श्री रामकुमार आडिल :– मुझे खुद ही वहां से भगा दिया गया है। चार दिन छुट्टी लिया था और पांच दिन लगे उसके बाद मुझे काम में नहीं रखे और बाहरी आदमी काम करते हैं।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– ग्राम सरोरा के 59 व्यक्ति अभी भी कार्यरत है।

श्री रामकुमार आडिल :– हमें लगता है कि, पूरे बाहरी आदमी काम करते हैं।
उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– बाहरी आदमी जो भी है वो तकनिकी रूप से सक्षम हैं, वह ही बाहरी आदमी है।
श्री रामकुमार आडिल :– तकनिकी रूप से हमें ट्रैनिंग दे, सक्षम करें, फिर उसके बाद आप फैक्ट्री चालू करें, तकनिकी रूप से हमें ट्रैनिंग दें।
उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– ठीक है इसके लिये भी विचार किया जाएगा, संयंत्र में जितने भी रोजगार के अवसर होगें ग्राम सरोरा को प्राथमिकता दी जायेगी।

8 श्री धनुष कुमार साहू, ग्राम बेमता :– लेकिन आसपास वालों को क्या मिलेगा, ये खेतान जी बतायगें, आसपास के गांव वालो का क्या होगा। ये फायदा लूटेंगे ये काम में जाएगें हम लोग क्या जक मारेगें, खेत में जाएगें हमारे तालाब में पूरा धूल पड़ रहा है, तुम लोग स्वीकार कर रहे हो – स्वीकार कर रहे हो, नौकरी के लिए – एक नौकरी के लिए। हमारे खेत में जितना होगा उतना कमाएगें, हम लोग तो नहीं दिए जो लड़ाई लड़ के जीत गए, बंद करवा दिए। अपने खेती किसानी की जो जमीन है यहां फैक्ट्री लगाने की मत सोचिए और नही तो लड़ाई करने हम तैयार है।
उन्हे कहा गया कि आप आरोप–प्रत्यारोप न करें। अपनी बात कहें।
उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– पहली प्राथमिकता रोजगार में दी जाएगी उसके बाद जो भी रोजगार के अवसर होंगे अगल बगल गांव में दिए जाएगें। यहां सभी क्षेत्रों का विकास होगा।

9 श्री मोहन दास, ग्राम बिनेका :– बिनेका का क्या होगा, फैक्ट्री खोले है सरोरा में और प्रदूषण बिनेका में जाता है।
उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– सरोरा की प्राथमिकता पहले रहेगी बाद अगल–बगल गांव में रहेगी, जो भी नियंत्रण के उपाय है हम कर रहे है बाद में कुछ होगा तो उसे साहब लोग चैक करेगें।
जनसामान्य को अवगत कराया गया कि आप लोग भी अपना विचार–विमर्श कर सकते हैं। चर्चा कर सकते हैं कि, उद्योग द्वारा क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया।

10 श्री सुनील माहेश्वरी, सदस्य जिला पंचायत :– जन सुनवाई के संबंध में मै कुछ बात अपने ग्रामिण जन और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, सबसे पहले मै यह जानना चाहता हूँ कि जन सुनवाई के लिए किन दो न्यूज पेपर में आज से एक माह पूर्व विज्ञापन किया गया ?
श्री आर.के. शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी :– दैनिक भास्कर में 11.09.2010 और टाइम्स आफ इंडिया में 11.09.2010। इसके अलावा ग्राम पंचायत को सूचना पत्र दे दिया गया।
श्री सुनील माहेश्वरी :– हां मै उसी बात पे आ रहा हूँ सर, आप जो बोल रहे हो हमारे ग्राम सरोरा, पूरा एक है। पुरानी बस्ती और नवापारा ग्राम सरोरा के सरहद में 10 कि.मी. सराउन्डींग में लगभग 30 से 35 गांव है लेकिन अगर 2 कि.मी. सराउन्डींग लेते हैं ता विनेगा, औरेठी, लांजा, घुमिया और सांकरा है। मैं एअर बेस्ड सराउन्डींग की बात कर रहा हूँ। इधर परसदा, जिविता इधर गुजरा में कोई जानकारी नही है, इसलिए जन सुनवाई की वैधता पर मै पहले प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूँगा। आप जिस सरपंच साहब को देने की बात कर रहें है प्रोसिडिंग लिखने वाले से निवेदन है कि अगर फिर बोलने को कहेंगे तो मै धीरे भी बोलूंगा लेकिन लिखापढ़ी तुरंत पक्का करिये, इतना निवेदन है। दुसरी बात मै यह कहना चाहूंगा सर की जिस ग्राम पंचायत में आप सूचना की बात कर रहे है, उस ग्राम पंचायत में दो दिन पूर्व तक आम जनता को जानकारी नहीं थी कि यहां से कोई जनसुनवाई होने वाली है। पंच सरपंच की बात नहीं करूगां जबकी 30 दिन पूर्व यहां पर जानकारी भेजी गई उसकी प्रशासन को सरपंच या पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन कराने की जवाबदारी थी, ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन कराने की पूरी जवाबदारी नही थी। तीसरी बात मै आपके समक्ष रखना चाहूंगा सर, पंचायत के किसी मुद्दे पर दो दिन पूर्व जो जानकारी इस गांव में भी हाका पाडा गया है, इस गांव के नयापारा तक भी हाका पाड़ा गया है। गांव में भी प्रापर सूचना नयापारा तरफ नही हुआ है, मै अगर गलत बोल रहा हूं, तो नयापारा वाले बताये, एक ही गांव में हम आधे गांव में जानकारी नहीं भेज पाते

है और एक महीना पहले शासन क्यों पर्यावरण की सूचना जनता के बीच जारी करता है ? इसका कारण है कि हम जो लगाना चाह रहे हैं, वह क्या चीज लग रही है, उसको जनता समझे और शायद सिलतरा पास में है तो हम वहां जाकर देखकर आएं कि जो–जो फैक्ट्री चल रही हैं उसका परिणाम और दुष्परिणाम क्या होगा, लाभ और हानि क्या रहेगी और उसके बाद फैसला कर सकें। आप गांव वालो को बोलोगे कोल वाशरी, तो वे क्या समझेंगे। आप यहां आ के बोलेगे इतना एम.डब्लू., इतना टन, तो वे क्या समझेगें। जब तक वे उसको प्रैक्टिकल रूप से नहीं देखेंगे। गांव वाले आज पूरे दिगभ्रमित है कि उद्योग क्या डालना चाहता है, और क्या जनता से चाहता है ? पूर्व में तीस–तीस हजार के तीन स्पंज आयरन की भी आप लोगों के द्वारा जन सुनवाई या जो भी आप लोगो के द्वारा या जो भी कहा समय लिया गया हो, एक ही टाइम में आज 7–8 साल पूर्व उसकी एन.ओ.सी. पा ली, सर उसके बाद में और आज की स्थिती में टैम्परेचर में क्या अंतर आया, एक बार एन.ओ.सी. मिलने के बाद क्या वो 7 साल बाद फैक्ट्री लगा सकता है, 6 साल बाद वह फैक्ट्री लगा सकता है ? इस बीच में यहां और भी फैक्ट्रियां लगी हैं, क्या गांव की भौगोलिक परिस्थिति बदली है, यह सब बात भी जनसुनवाई के माध्यम से मै इसमें दर्ज करना चाहता हूँ। क्या वह एन.ओ.सी. तीन स्पंज आयरन के लिए आज सात साल बाद भी कैसे लागू हो गई। दूसरी बात अपर कलेक्टर के माध्यम से पर्यावरण विभाग से जानना चाहूंगा कि एक स्पंज आयरन में आज कितना कोयला जल रहा है। मैं स्टेप बाई स्टेप प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर स्टेप बाई स्टेप चाहिये, क्योंकि मेरे प्रश्न से ही दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है। एक स्पंज आयरन कितना कोयला जलाता जा रहा है उसकी जानकारी मुझे दीजिए।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– एक सौ टन की भठ्ठी में प्रतिदिन 130 टन कोयले की जरूरत होती है।

श्री सुनील माहेश्वरी :– मंथली में चार हजार टन लगभग, साल में 48 हजार टन लगभग, और तीन स्पंज आयरन में एक लाख 44 हजार टन लभभग, पहले से ही तीन गुना कोयला जलाने की एन.ओ.सी. है ? पहले की तुलना में तीन गुना प्रदूषण की स्थिति बनेगी, गांव वाले इस विषय में सोंचे और समझें, मै यहां पर यह नहीं बोलूंगा कि उद्योग लगाया जाए या नहीं लगाया जावे। मैं जो चीज है उसको सामने लाने की कोशिश करूंगा। सुनील माहेश्वरी या यहां पर यहां के जो मालिक या यहां पर जो साहब लोग है या प्लांट का मालिक इस गांव में नही रहते, न किसानी करतें हैं। हम लोग सब बाहर रहते हैं, हम लोग यहां का पानी नही पीते, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं। लेकिन गांव वालों को कौन सा पानी पीना है, इसके लिये भी तैयार रहें। आयरन ओर बेनिफिकेशन, ये क्या चीज है। गांव वालों को बताईये कि आयरन ओर बेनिफिकेशन क्या चीज है ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें आयरन ओर फाइन्स लेकर उसे वाश करके कनसनट्रेट बनाते हैं।

श्री सुनील माहेश्वरी :– धन्यवाद सर, आपने वाश, कनसनट्रैट जाने क्या शब्दों का उपयोग किया है मुझे भी समझ में नहीं आया है। यह पत्थर का चूरा है जिसे पानी से धोयेंगे, पानी से धोने के बाद हमारे खेतान सर ने बताया की चार हजार गेलन पानी नदी से लायेगें। नदी से कैसे लायेंगे ? वहां पर जो ऐनीकेट बना है वहां से लायेंगे। डेफिनेटली हमारे नदी के ऐनिकेट के कारण जो सरहद के गांव के पानी का वाटर लेवल है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। वहां से कन्टीन्यूस पानी लाया जायेगा, पानी लाने के बाद उस चार हजार गैलन पानी को कहा छोडेगें, वह वापस नहर के माध्यम से वापस नदी में चला जायेगा और वही पानी को अगर आप सोक पिट की बात करते हैं तो, इस गांव में सोक पिट बनाकर उसे इस जमीन के अदंर डालना चाहते हो तो हम हैंड पंप में कैसा पानी पीयेंगे? यह मुझे बताने की जरूरत नही है, जनता खुद फैसला करेंगी कि वो आयरन ओर के पानी के बाद हमारी क्या स्थिती होगी ? तीसरी बात ब्लास्ट फरनेस किसको बोलते हैं ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें पिग आयरन मैनुफैक्चरिंग किया जाता है।

श्री सुनील माहेश्वरी :– पिग आयरन मैनिफैक्चरिंग की बात करते है। पर्यावरण वाले अधिकारी महोदय बतायें कि इस ब्लास्ट फर्नेस से क्या गांव का टेम्परेचर बढ़ता है, या नहीं ? इससे टेम्प्रेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है मै यह जानना चाहता हूं, मैं भी गांव का एक सामान्य नागरिक हूं।

श्री आर.के. शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी :– मैं उसके बारे में अलग से बताऊंगा, अभी कंसल्टेंट बोल रहे हैं।

श्री सुनील माहेश्वरी :– अलग से क्यों सर, टैक्नीकल बात हो रही है, जुड़ी हुई बात हो रही है, अलग से क्यों ? क्या टेम्प्रेचर बढ़ता है कि नही बढ़ता, नहीं बढता है तो नहीं बढ़ता है बोल दीजिए, और यदि बढ़ता है तो, बढ़ता है बोल दीजिए।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली वायु कणों के लिये वेस्ट हीट रिकवरी का प्रोविजन किया गया है।

श्री सुनील माहेश्वरी :– इससे टेम्प्रेचर डेफिनेटली, निको स्टील प्लांट या कहीं भी चले जायें गांव के टेम्प्रेचर में इसका फर्क पड़ेगा, इसके बाद इससे कुछ निकलता है ना, आयरन ओर, ऐश वगैरहा।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले वेस्ट हीट को वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट में लिया जायेगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– सर प्लीज आई काईडली रिक्योंस्ट, मैं नही समझूंगा। मैं छत्तीसगढ़ी–हिन्दी भाषी हूं।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें 2.5 मेगावॉट की विद्युत उत्पादन की परियोजना भी है। इन वायुकणों के ताप का उपयोग करते हुए 2.5 मेगावॉट विद्युत तैयार की जायेगी। केन्द्रीय प्रदुषण मंडल नियंत्रण मंडल के हिसाब से जितनी चिमनी हाइट निर्धारित है, उतनी हाइट से विसर्जित किया जायेगा, जब उतनी हाइट से विसर्जित किया जायेगा तो जब वह ग्राउन्ड तक पहुंचेगा, तब तक ऐमबियंट टेम्प्रेचर में आ जायेगा। इसके अलावा भी 1/3 भाग में हरियाली की वृद्धी की जावेगी। इन सब के करने पर ऐमबियंट टेम्प्रेचर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– यही बात मैं आर.ओ. से पुछना चाहता हूँ।

श्री आर.के. शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी :– यहां के प्रश्नों का उत्तर इन्ही को देना है मैं विधिक तौर पर ये उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सुनील माहेश्वरी :– अच्छा चलिये इनका कहना है मै कोई उत्तर नहीं दूंगा। विधिक तौर पर प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। ये सिंटर प्लांट क्या है, क्या होता है सिंटर प्लांट ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– आयरन ओर फाईन्स और डस्ट को एग्लोमरेट करके याने फाइन्स को कैल्सन करके सिंटर बनाया जाता है। यह ब्लास्ट फर्नेस का मटेरियल होता है, सिंटर प्लांट से जो सिंटर निकलेगा उसको ब्लास्ट फर्नेस में फिर उपयोग किया जायेगा, यह एक इंटरमिडीयेट प्रोडक्ट है।

श्री सुनील माहेश्वरी :– चलिये मै इसके बारे में बताता हूं। यह सिंटर आपके ब्लास्ट फर्नेस में जलेगा, जो इसमें जलेगा उसको भी बता दीजिए।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें कोक 90,000 टन/वर्ष होगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– मतलब हम लोग पांच गुना प्रदुषण में पहुंच गये। यह हम समझे, इसके बाद आप लोग तय करो।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– आयरन ओर फाइन्स और फ्लस्क को एड करके सिंटर बनता है, इस सिंटर प्रोडक्ट को फिर ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग किया जावेगा। ये जो प्रोडक्ट निकलता है सिंटर, उसको ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग किया जाएगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– लेकिन इस लोहे को, ओपन रूप से जला के उसकी गैस को चिमनी के माध्यम से ऊपर भेजा जाता है, इसकी जो गैस निकलती है सिंटर प्लांट की

चिमनी के माध्यम से भेजा जाता है और साइंटिस्ट द्रष्टिकोण से वह गैस शारीरिक और स्वास्थ के लिए हानिकारक होती है, इस बारे में आप बोलिए सर।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— सिंटर प्लांट में जो वायु निकलती है, उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नियमानुसार हाईट की चिमनी से उत्सर्जित किया जायेगा। सिंटर प्लांट से निकलने वाली गैस हैजार्डस होती तो, आज भारत सरकार सिंटर प्लांट की परमिशन ही नहीं देता। कछ आयटम जैसे कि कुछ टैक्सटाइल 20 साल पहले जो डाई यूज करते थे, वो डाईस बहुत हानिकारक थे, इसलिए उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है यानि पूरा प्रोहिबिटेट कर दिया है। इसका मतलब जब पर्यावरण पर कोई हैजार्डस मटेरियल से विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इसको भारत सरकार तुरंत प्रोहिबिट करता है। आज तक सिंटर प्लांट को, या ब्लास्ट फर्नेस को या स्पंज आयरन को आज तक ऐसा नहीं किया गया है। अभी एक्झिसटिंग प्लांट इधर क्या—क्या है, और इस विस्तारण में क्या—क्या परियोजना प्रस्तावित है इन सब को मिला के जो कोयला बढ़ने से, कितना कोयला बढ़ रहा है इन सब को केलकुलेट करके याने हरेक युनिट के लिये एक कन्ट्रोल सिस्टम होता है। कन्ट्रोल सिस्टम का डिजायन ऐसा करते हैं कि बाहर निकलने वाला उत्सर्जन नियमों के अनुसार हो, इन नियमों को केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण मंडल ने फिक्स किया है। स्टैन्र्डड बनाया गया है। इस स्टैन्र्डड के अनुसार ही उत्सर्जन किया जायेगा। गैसों का ये स्टैन्र्डड कैसे फिक्स हुआ, प्रत्येक युनिट में याने स्पंज आयरन, पावर प्लांट का मापदण्ड कैसा होना चाहिये, इसका सांइटिस्टों द्वारा अध्ययन करके, कौन सा सिस्टम आवश्यक है, प्रदुषण नियंत्रण के लिये कितनी उंचाई से गैसों को विसर्जित करना चाहिए, इसकी पूरी स्टडी करके सांइटिस्टों ने बताया है, और सेंट्रल पालूशन कंट्रोल बोर्ड नें इन नियमों को लागू किये हैं। इस स्टेन्र्डड को, इन नियमों का जब तक आप पालन करते हैं, परिसर पर, पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :— सर ठीक है ये बताइए इंडक्शन फर्नेस क्या है?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— इसमें स्पंज आयरन और पिग आयरन और स्क्रेप भी इण्डक्शन फर्नेस में मिक्स करके मेल्ट करेंगे।

श्री सुनील माहेश्वरी :— यह यूनिट हमको कहां देखने मिलेगी, सर आपके प्लांट में मिल जायेगी, अब तो लग गई होगी।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— खेतान स्पंज में तो नहीं है।

श्री सुनील माहेश्वरी :— कुछ तो लगाना चालू हो गया होगा।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— नहीं।

श्री सुनील माहेश्वरी :— कन्फर्म।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— कन्फर्म।

श्री सुनील माहेश्वरी :— अच्छा ये बताईये कि आज यह जो जनसुनवाई हो रही है इसमें से कुछ लग गया है।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— इसमें तीन गुना सौ टन का स्पंज आयरन किलन का कसैन्ट टू इस्टेब्लिश पहले लिया था इसमें एक किलन प्रोडक्शन में है, दूसरे का काम चल रहा है और इसके बाद पैलेट प्लांट, जिसका परमिशन छत्तीसगढ़ प्रदुषण नियंत्रण मंडल से 2009 में लिया था।

श्री सुनील माहेश्वरी :— अच्छा सर मै आपसे सहमत हूं, इसमें लोहे को बिजली द्वारा गर्म किया जाता है ऐसा कुछ है।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— हां।

श्री सुनील माहेश्वरी :— इसमें भी एकाध चिमनी लगती होगी।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :— इसके लिए सॉरी।

श्री सुनील माहेश्वरी :— इंडक्शन फर्नेस में।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– यह इलैक्ट्रिकली आपरेटेड है। स्टील मेल्टिंग शॉप में जो फयूजिटीव ऐमीशन होता है उसे सक करके बैग फिल्टर में शुद्ध किया जायेगा उसके बाद 30 मीटर उंचाई की चिमनी से विसर्जित किया जायेगा, और विसर्जित वायु में धुल कणों की मात्रा 50 मि.ग्राम/नार्मल घनमीटर से कम होगी, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्टैर्डड से कम है।

श्री सुनील माहेश्वरी :– यह रोलिंग मिल क्या है सर ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें बिलेटस् से टी.एम.टी. बार्स और स्ट्रक्चरल स्टील बनता है।

श्री सुनील माहेश्वरी :– इसको काहे से चलाऐगें ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें फर्नेस ऑयल उपयोग होगा। एक्चुअली इसमें जो एस.ओ.टू. निकलेगा उसको केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण मंडल के मापदण्डों के अनुसार चिमनी हाईट का केलकुलेशन करके उतनी हाईट की चिमनी से वायुकणों को विसर्जित किया जायेगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– फैरो एलायस् क्या है ? क्या इसमें कोयला जलता है ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– इसमें फैरो एलायज का उत्पादन होगा। सबमर्ज इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस से इसका उत्पादन होगा। सबमर्ज इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस में कोयले की जरूरत नही है। यह इलैक्ट्रीसिटी से संचालित होगा। निकलने वाली गैसेस् को फ्यूम ऐक्ट्रैक्शन सिस्टम और बैग फिल्टर से शुद्ध किया जायेगा। जिसका कन्सेन्ट टू इस्टैब्लिश मिला है। हरेक किलन कि गैसेस् का तापमान 1000 डिग्रीसेंटीग्रेट होता है इसका संग्रहण करके इस ताप का उपयोग करके हरेक किलन में 2 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन किया जायेगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– राजनितिक या किसी भी प्रकार के लोगों का कहना है कि, जी.एम. आर. में काम इसलिये रूक गया कि यह ऐनवायरोमेन्टेल से जुड़ा है और टेम्प्रेचर बहुत बढ़ जाता है।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– जब एक इंडस्ट्री आती है, तो नॉरमली इस इंडस्ट्री में जब तक नियमों का पालन किया जायेगा याने जितना हाइट में गैसो का विसर्जित करना, कौन सा सिस्टम लगाना है, कितने ग्रीन बेल्ट में कितने पौधे लगाना है, इन सबको नियमों के हिसाब से किया जायेगा तो पर्यावरण पर कोई प्रतिकुल प्रभाव तो नहीं होगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– आप तो बोलोगे साहब। यह बताइए कोल वाशरी क्या है ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– नारमली रॉ कोल में ऐष कन्टेन ज्यादा होता है, इस कोयले को वॉश करके ऐश कंटेट 25 प्रतिशत कर लिया जाता है, जो वाश कोल मिलेगा इसको स्पंज आयरन में उपयोग किया जायेगा इससे पालूशन कम होगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– सर इसमें कोयले को पानी से धोते है।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– हां इसमें कोई पानी बाहर नहीं फेंका जायेगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– हमको पता है सर।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– अभी भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय और केंन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड ने कोल वाषरी के लिये स्टैर्डड बनायें हैं कि, वाशरी को कैसे इंप्लीमैंट करना है, इसका पालन पूरी तरह से इस प्लांट में किया जायेगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– वैसे भी आठ साल में इसको लगाओगे, जैसे स्पंज आयरन प्लांट को तीन सैटअप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या 64 एकड जमीन में जैसा खेतान साहब ने कहा 25–25, 30–30 मेगावॉट पावर प्लांट, क्या 64 एकड़ जमीन में यह संभव है कि सारे प्लांट लग जायेगें। मैं यह बोलना चाहूंगा की 65 बोलने का है 22 एकड़ कहां दे रहे हो, पांच एकड़ सड़क को दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। शेष 20–25 एकड़ में आपको प्लांट बनाना है। क्या यह संभव है ? और यदि संभव है तो क्या आप ब्रेकअप सहित, कौन सा प्लांट कितने एकड़ में लगेगा, आप दे सकते हैं। आठों प्लांट कितने एकड़ में लगेगें ? इस बात को दर्ज करना कि यह संभव नही है कि सारे प्लांट इनकी उपस्थित

भूमि में बन जाए। जो एक खाली प्लाट को बता रहे हैं, आप बोलिए सर आप अपना पक्ष तो रखेंगे।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– 1 मिलियन टन का स्टील प्लांट लगाने के लिए 200 एकड से 250 एकड जमीन की जरूरत पडेगी। इसी हिसाब से इसमें लगेगा, 0.15 मिलियन टन, इसमें तो 64 एकड़ में क्लीयरली बन जाएगा।

श्री सुनील माहेश्वरी :– सर बड़ी छोटी सी चीज बोलता हूँ एक गांव के ग्राम पंचायत चार डेसीमल में बन जाती है क्या संसंद को दो लाख ग्राम पंचायत से गुना करे उतनी जगह नहीं लगेगी बनानें मे। आप जितना छोटा प्लांट लगाना चाहतें है, इसके लिये जो जमीन की तुलना आप कर रहे हैं, वैसी तुलना गलत है। जो आप कर रहे हो, मैं केवल पूछ सकता हूँ, की ये आठों प्लांट का पर्यावरण विभाग या आप इंडिविज्वली ब्रेकअप दे सकते हैं कि पावर प्लांट को चार एकड़ में बना देगे। इसको 3 एकड़ में बना देंगे क्या यह ब्रेकअप दे सकते हैं। पर्यावरण वाले साहब भी जानते हैं, अपर कलेक्टर साहब भी जानते है हम भी जानते है। आपको स्लज पौंड बनाना है उसमें बहुत जमीन लगेगी। कचरा फेंकना, डस्ट फेंकना, ऐसा नहीं की आप जैसा बोल रहें हैं एक स्पंज आयरन हमारे सेठजी चला रहे है उसमें कितनी जमीन लगी है। आप देखिए ना जा के। 10 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़ आप इससे तुलना कीजिए ना। क्यो बोल रहा हूँ तो बताओ मैं चुप बैठ जाउंगा।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– डोलोचार को पावर प्लांट में यूज किया जायेगा, पावर प्लांट से ऐश आयेगा उसको सीमेन्ट प्लांट में उपयोग किया जायेगा, नहीं तो ब्रिक मैनीफैक्चरिंग को दिया जायेगा। स्टोरेज साल्यूशन नहीं है पालूशन के लिये। भारत सरकार ने इसके लिये नियम बनाये हैं।

श्री सुनील माहेश्वरी :– सर इसमें मेरी आपत्ति दर्ज किजिए कि आपने टॉर कब इश्यू किया।

श्री आर.के. शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी :– 7 अगस्त 2009।

श्री सुनील माहेश्वरी :– सर 7 अगस्त 2009। यह स्टडी जो होता है, पर्यावरण स्टडी यह कब किया।

श्री आर.के. शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी :– ये बताएंगे।

श्री सुनील माहेश्वरी :– पर्यावरण स्टडी पर्यावरण विभाग ने की है।

श्री आर.के. शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी :– नहीं–नहीं।

श्री सुनील माहेश्वरी :– यह आपत्ति दर्ज कि जाए की टॉर इश्यू होने के बाद जब गवरमैंट इनकों अनुमति दे देती है, तब पर्यावरण स्टडी का काम चालू होता है। यह प्री प्लानिंग वर्क है। मैं यह बात रखना चाहूँगा कि हमारे पास के जितने गांव है – सरोरा, बिनैका, औरेठी, भूमिया, बैमता, लांजा जितने गांव है परसदा, इन सब गांव का पर्यावरण विभाग ने सर्वे किया। पर्यावरण विभाग या पर्यावरण जो भी होगा इसका तीन महीना तक सर्वेक्षण होता है। क्या आपने किसी गांव में किसी पर्यावरण वाले को सर्वेक्षण करते देखा है।

पब्लिक :– नहीं–नहीं।

श्री सुनील माहेश्वरी :– इसको नोट किया जाए, आसपास के गांवो में प्लांट से क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी वो सर्वेक्षण कराती है। जो चिड़िया उड़ती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्लांट से लेकिन कब, कैसे वह कागज बन जाता है, यह हमें समझ में नहीं आता है। यह मेरी आपत्ति है, सर कि गर्वमेन्ट से टॉर इश्यू होने के पहले आप के द्वारा पर्यावरण की स्टडी हो जाती है। तो कही न कही प्री प्लानिंग वर्किगं से कार्य किया जा रहा है।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– टर्म्स आफ रिफरेन्स् में कौन–कौन से पैरामीटर हैं, इन सबको, फार्म–1 में अटैच किया जाता है। जब भी इसमें कोई फर्क होता है, यानें सस्पैंडेड पार्टीकुलेट मैटर, रैसपरेबल सस्पैंडेंड पार्टीकुलेट मैटर, सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड यह सब चीजें सेम है तो हम लोगों ने बता दिया था कि मानिटरिंग शुरू हो चुकी है।

श्री सुनील माहेश्वरीः– वह अपनी जगह है सर की आपने क्या बता दिया था। मैं साड़ी बेचना हूँ तो मै साडीयों का बहुत अच्छा ढ़ग से प्रस्तुतिकरण भी करूंगा उससे साड़ी नहीं

बिकती है। उसे बहुत नई साड़ी बता कर बेच दूंगा। यह तो सर, आप अपनी जगह सही है और आपसे हम कोई भी गिला–शिकवा नही है। हम जो अपनी यह बात विभाग से रख रहें है, यह टॉर इश्यू वाली जो बात है वह टैक्निकल बात है, आप इसको उसमें जरूर शामिल करे और में इसके आगे बढते हुए यह बोलना चाहूंगा कि सिलतरा से औघोगिक क्षेत्र सिलतरा, पर्यावरण विभाग के अधिकारी से भी पूछूगां की यह डिस्टेंस क्या है। हमारें उद्योग से।

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– 22.6 कि.मी. एरियल डिस्टेंस।

श्री सुनील माहेश्वरी :– कर्न्फम ?

श्री महेश्वर रेड्डी, उद्योग के कन्सलटेंट :– कर्न्फम, फेस–1 से।

श्री सुनील माहेश्वरी :– सब 22 के अंदर आ जाएगा ना, सर 22 कि.मी. में कितने सारें, प्लांट का हमने अनुमति दिया है। टाटीबंध के तरफ मकान की कालोनी बना रही है सर, मोवा तरफ बन रही है, उधर विधान सभा भवन तरफ बन रही है, रायपुर के चारों दिशा में कॉलोनिया बन रही है। मकान बन रहा है, रेसीडेंस बन रहा है, रहने के लिए, लेकिन सिलतरा तरफ कही भी नहीं बन रहीं हैं, क्योंकि कोई प्रदूषण में नही जीना चाहता। कोई भी अधिकारी, व्यापारी प्रदूषण में नहीं जीना चाहता और हमको फिर सिलतरा का टैम्प्रेचर इधर से सहना होगा, जी.एम.आर. का टैम्परेचर उधर से यह सही नहीं है, और तीन चार उद्योग मे0 हाइटैक, अर्श और जो हमारे यहां पर खेतान स्पंज वाले है उनका पहले से लगा हुआ है, और दो का ऑलरेडी स्वीकृति है उसके बाद में इनकों फिर 9 की और स्वीकृति देगे तो क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना में ग्रामीण वासियों को सौंपना चाहूंगा। यह आप लोग तय करेंगे। पुस्तक की बात किए थें आपने सर, सरपंच महोदय, उस पुस्तक को दिखाओगे, सर थोड़ा बस वही से दिखाओ, एक वो मोटा पुस्तक है जिसमें बडा डिटेल में दिया रहता है, उसको थोडा बस एक पन्ना खोलें यह सारी की सारी पुस्तक अंग्रेजी में है। ठीक है अपर कलेक्टर साहब के पास कल परसो पहुंचा तो मुझको जानकारी हुई कि कोई जनसुनवाई है। उसके बाद में कही से शर्मा साहब से बात किया वों पुस्तक को शाम तक के खोजा, खोजने के बाद कल सुबह थोड़ा, बहुत पढ़के जो समझा उसको बताया, शायद यह पुस्तक मेरे पास एक महीने तक रहता तो मैं बहुत अच्छे से बताता। जो एक महीने पहले सूचना यहा पर आई है। अब वो पुस्तक को हमारे सरपंच महोदया सरोरा की सम्मानित है, ऐसे सरपंच महोदय के हाथ में सौंपा गया कि पूरे गांव वालो को सूचना देना। सरपंच महोदया क्या, हम सब जानतें है, ग्राम पंचायत को अच्छे से चलाते हैं, लेकिन शिक्षा का दायरा सब अच्छे से जानते हैं, उस बिचारी को अंग्रेजी की पुस्तक थमा के आ जाते हैं। चार पेज का हिन्दी का भी थमाये है जिसको उन्होने पढ़ा है। कौन खेतान साहब, डिटेल, क्या कोयला लगेगा, क्या प्रदूषण होगा, कब उसका पर्यावरण स्टडी हुआ, क्या स्थिति आएगी, चलों उस पुस्तक को लेकें हम किसी गांव में चले जाते है। सिलतरा में जा के देख लेते है की क्या स्थिति गांव की आयेगी, इसको समझने का मौका हमको इस जन सुनवाई के दौरान नहीं मिला। मैं पुनः इस जन सुनवाई के अवसर पर यहां पर एक आपत्ति को दर्ज करता हूं की यह जन सुनवाई आसपास के पूरे गांव को प्रभावित करती है। आप जितनी चिमनी लगाओगे उससे 10 कि.मी., 8 कि.मी., 7 कि.मी. तो दूर की बात है दो कि.मी. के सरहद में जो 10 गांव है, उस गांव के संरपंच, पंच भी आये है, उन गांवों को कोई सूचना नहीं दी गई, कुछ नही दिया मैने इनको फोन से या और किसी व्यक्ति ने फोन से इनको जो जानकारी दी है उस जानकारी के आधार पर ये लोग आये है। इन सब गांव के लोग भी उतने ही प्रभावित होगों जितने सरोरा गांव के लोग प्रभावित होंगे। इस सब के बीच बहुत ज्यादा का अंतर नही है। इन सारे के सारे लोग जिनको जन सुनवाई से पूर्णतः बेदखल कर दिया गया है, यह माना जाए उनको जनसुनवाई का मौका ही नही मिला, यह माना जाए और यह जनसुनवाई की वैधता को अपने ही शब्दों के साथ रखता हूं कि, वैधता को चुनौती देता हूं कि, ऐसी जनसुनवाई पुनः एक महीने का समय दे कर फिर से कराई जावे। गांव वालों को समझने दिया जाए। क्या यह उचित है, किसी का जीवन 50 में पहुंच गया है किसी का 60 में पहुंच गया, हम यहां जो बैठो है हम लोगों के शरीर

का विकास हो चुका है। हम लोगो की आंख में देखने की क्षमता थी, हाथ पैर में क्षमता थी, सब विकास हो गया लेकिन वह एक साल का बच्चा जो आज हमारी नई पीढी तैयार होगी। वो जो गर्भवती महिला, वो जो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे जिनके शरीर का विकास होना बाकी है, उसकी किडनी का विकास होना बाकी है, उसके लीवर का विकास होना बाकी है, उसकी पूरी शारीरिक संचना का इस प्रदूषण में कितना विकास कर पाएगी, यह हमारे छोटे–मोटे सोच की बात नहीं है। मै नहीं रहूंगा–मै नहीं रहूंगा, आप नहीं रहोगें, ये गांव नही रहेगा लेकिन यह प्लांट तो जिंदा रहेगा, अगली पीढी तक के बच्चें को कुछ देना पडेगा हम थोडे से प्रभाव में, थोडे से प्रलोभन में, यह नही कर सकते और अंत में एक लाइन रायपुर जिला पंचायत में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, अर्श आयरन, हाइटैक और खेतान स्पंज आयरन के कारण मैने लिखवाया भी था की आप इस प्रदूषण को रोकने का प्रयास किजिए। ई.एस.पी. कितना चालू रहता है, कितना बंद रहता है, यह सारे गांव वाले को मालूम है। दिन में कैसा धुआ चलता है और रात में कैसा चलता है। आप बोलोगे की ये–ये प्लांट में मै, ये–यें चीज लगवा दूंगा, क्या उसके लगाने से, क्या ये, आने वाले समय में दस गुना जो प्लांट लगेगा उसका दस गुना धुआ, तो आप फिर नहीं आओगे जांच करने, हम कहां–कहां दौडेगें, हमारे हाथ में आज सब कुछ है। मैं आम जनता से निवेदन करता की वो स्वयं निर्णय करें अपने खेती के बारे, अपनी बाड़ी के बारे में अपने रास्ते के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। जितनी हमारे गांव की जनता है उनको आलरेडी रोजगार मिलता है। रोजगार के लिए खोजने पर भी आदमी नहीं मिल रहे है। आम जनता को आप किस स्थिति से गुजरना चाहते है। उसको आप लोग खुद ही समझिए और इस पूरा उद्योग लगने देना चाहतें हो। इस सम्पूर्ण आपत्ति को नोट किया जाए और ध्यान रखना सर विडियों शूटिंग मेरी भी है, मै भी लाया हूॅ अपने साथ। मेरी इन सम्पूर्ण आपत्तियों को दर्ज कीजिए और इन्हीं बातो से अपनी बात को विराम देता हूॅ। जय जन, धन्यवाद जय हिन्द।

11 श्रीमति अरूणा रानी बघेल, सदस्या जिला पंचायत :– आप सभी अधिकारी और हमारे सभी गांव से आए हुए भाई–बहिन के बीच में कितना सुन्दर बात रखी है हमारे भाई सुनील माहेश्वरी रायपुर जिला पंचायत सदस्य ने। पूरी सही बात को जनता को बीच में रखी। आज इस कंपनी में क्या होता है और क्या होगा हम सभी को ज्ञात करवाया सुनील माहेश्वरी ने। तो इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है उन्हें, और वास्तव में हमें देखना है कि यहां जो भी कंपनी, मिल खुलती है उससे किसान की फसल को नुकसान होता है, गाय मरती है, जानवर मरता है। इसको ध्यान देने वालो कोई नही है। वास्तव में हमारी जिला पंचायत में इस बात को हमने रखा है। मगर आज तक यहां के अधिकारीगण उस बैठक की जानकारी नहीं दे रहे हैं। वास्तविक चीज हमें बताई है सुनील माहेश्वरी भाई ने। किसानो की फसल को नुकसान होता है तो उसके मुआवजा के लिए यहां कोई नियम है कि नही। उसको भी बताओ मैने इन सब भाई बहन को पूछा कि मुआवजा देती है की नही कंपनी। कोई नियम है कि नहीं। तो कहते है कि कोई नियम नहीं है, मगर उसका नियम यहां आधारित है कि नही मुझे आप लोग बताए। मै इतना ही कह रही हूँ इसका कोई नियम है कि नही।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :– हमारे द्वार पहले ही यह कमिटमैंट किया जा चुका है कि अगर कोई भी फसल, धान काला होता है तो हम उसे सरकारी मूल्य पर उसको खरीदेगे। लेकिन आज तक हमारी सरोरा मण्डी में इस तरह का धान आया ही नहीं है। ऐसी नौबत नही आई है। इससे यह साबित होता है कि कोई प्रदूषण नही है।

श्रीमति अरूणा रानी बघेल, सदस्या जिला पंचायत :– आप लोग और जो अधिकारीगण बैठे है ये बताइये कि लोक सुनवाई–जनसुनवाई का नियम है कि नही इस क्षेत्र में, प्रदेश में एवं देश में।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि आप लोग बता रहे है उस आपत्ति को पर्यावरण विभाग को लिख कर भेजा जाएगा।

अपर कलैक्टर :— हमने शुरू से ही बता दिया था कि, हम यहां बैठे है कि इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, ये ओपिनियन भारत सरकार को भेजने के उद्देश्य से बैठे है। आपकी जो भी बात है हम उसको नोट करेंगे और आपने जो सारे बिंदु आपने जो उठाए है हम उसे लिखित में भारत सरकार को भिजवाएगें। इसका आश्वासन हम दे सकते है।

पब्लिक :— जन सुनवाई में आप बैठे है, तो आप उत्तर क्यों नहीं देंगे।

अपर कलैक्टर :— जन सुनवाई का मतलब क्या है, यह मैने शुरू से ही बता दिया था कि, आप जो बात रखेंगे वह बात लिखित में भारत सरकार के पास भिजवाएगें। इसका उद्देश्य ही यही है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम उसका उत्तर दे। इसका निर्णय भारत सरकार को करना है, आपने जो बाते कही है वो सारी बाते हम लिखित में भारत सरकार को भिजवायेगे। हमारे यहां आने का उद्देश्य यह है कि आप ने जो भी बाते कही है उसको हम वहां पर पहुचाएगे। इसका आश्वासन हम दे सकते है। इससे आप देख सकते है कि आपने जो भी बात की है वह उसमें है या नहीं।

पब्लिक :— जय भारत, जय छत्तीसगढ, फैक्ट्री नहीं खुले, नहीं खुले।

अपर कलैक्टर :— आप सभी जो बोल रहे थे उससे ये दो विचार आते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप सहमति दीजिए, यहां पर जितने भी लोग है वो सारे के सारे फैक्ट्री खुलने के विरोध में है, प्रदूषण को देख कर, यहां फैक्ट्री नहीं खुले इसका प्रस्ताव करते हैं। दूसरा यदि कोई व्यक्ति प्लांट के समर्थन में है तो, वह अपना हाथ उठाये, परंतु किसी भी व्यक्ति ने प्लांट के सर्मथन में हाथ नही उठाया। इससे भी जो पहला बिन्दु है उसकी पुष्टि होती है। तो हम अपनी रिर्पोट में इन बातों का अवश्य उल्लेख करेंगे।

जनता को अवगत कराया गया कि जिस व्यक्ति को लिखित में देना है वो लिखित में दे सकते है।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :— 11 सूत्रीय तो नही मिला, मेरे पास नौ प्वाईटस् है, अगर आपके पास हों तो उपलब्ध करा दे।

पब्लिक :— पूरे का जवाब देना है।

उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक खेतान :— यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है। कुछ कारणों से काम रूका हुआ था जनवरी 2011 तक यह काम पूर्ण हो जाएगा। दूसरा है तालाब का गहरीकरण — जो की अभी गर्मी में तालाब का गहरीकरण करवा दिया गया है। स्वास्थ उपचार में मदद करना जो कि हमारे द्वारा साल दो साल में मेडिकल कैप गांवों में लगाया जाता है और लोगों को स्वास्थ सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। स्थानीय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना वह हमारे द्वारा ऑलरेडी कराया जा रहा है। इसके लिए हम हमेशा तैयार है, जो पुलिस कार्यवाही हुई थी उसे आपसी समझौते से निरस्तीकरण कराना वह ऑलरेडी हो चुका है। गर्मी के समय में आपपास के गांव में पेयजल की व्यवस्था करना जो कि हमारे द्वारा टैंकरों द्वारा किया जा रहा है। संयंत्र से अगर किसी प्रकार का काला धुआ निकलता है तो उसकी सफाई कराना ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, अगर आती तो हम करेंगें। शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करना। इन मुद्दों पर हमने सहमति दी थी और हम काम कर रहे है।

लोक सुनवाई के दौरान कुल 159 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो **संलग्नक—1** अनुसार है। लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

इसी के साथ लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त हुई।

अपर कलेक्टर
जिला रायपुर (छ.ग.)